

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2019—श्रावण 25, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. एफ. 15-2-2019-सात-शाखा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108(2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये :—

अनुसूची

तहसील-रौन
जिला-भिण्ड

अनुक्रमांक

ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये
प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(1)

(2)

(3)

1

1. मूल ग्राम-पचोखरा प. ह. नं. 17,
2. नवीन ग्राम-डमनापुरा

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

6461

मुजीबुर्हमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. एफ. 15-2-2019-सात-शाखा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-02-2019-सात-शा. 7 दिनांक 8 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, date 8th August 2019

No. F. 15-2-2019-VII-Sec.7.—In exercise of the powers vested under Section 108(2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE

Tashil : Roan
District : Bhind

Serial No.	Name of village(s) with P. C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01.	1. Original Village-Pachokhara 2. New Village-Damnapura P.C.No. 17	Superintendent of Land Records, (Regular) District-Bhind.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR RAHMAN KHAN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2019

क्र. 2245-2019-सात-4.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिये अधिसूचना दिनांक 12 मई 2016, 6 जून 2016, 1 जुलाई 2016, 16 मार्च 2017 एवं 2 जून 2017 द्वारा तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की गई थी. उक्त अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. खान, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2019

क्र. एफ 1(ए) 29-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री रियाज इकबाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सतना को दिनांक 6 से 20 जून 2019 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री रियाज इकबाल, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला सतना द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भा. पु. से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, पुलिस अधीक्षक, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल से श्री रियाज इकबाल, भा. पु. से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भा. पु. से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2019

फा. क्र. 3895-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रामकुमार चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.
2	श्री प्रियदर्शन शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब (एक).—3250 (मेरिट क्रमांक 87), राज्य शासन, श्री अतुल यादव पुत्र श्री हरीसिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला गुना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 24 फरवरी, 1983 है।

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2019

फा. क्र. 3937-2019-इक्कीस ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहित, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), रीवा का त्याग-पत्र उनके आवेदन दिनांक 22 जुलाई 2019 से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

क्र. एफ-11-02-2011-तीस.—राज्य शासन की राय में यह आवश्यक होने पर कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों तथा अवशेषों को नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने परिवर्तित होने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश एन्थीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 2964 की धारा 3 की उपधारा (16) अनुसार स्मारक श्रीमंत यशवंत राव होल्कर प्रथम (1799-1811 ई.) की छत्री एवं बाह्य परिसर में स्थित पुरानी छत्रियाँ एवं भवन को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 नवम्बर 2013 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किया गया था।

(2) इस अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम 6, 7 एवं 8 में संशोधन आवश्यक होने से पूर्व अधिसूचना के राजस्व क्षेत्र, क्षेत्रफल एवं स्वामित्व में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	मंदसौर	भानपुरा	भानपुरा	श्री यशवंत राव होल्कर प्रथम की छत्री एवं नजरबाग में स्थित भवन एवं छत्रियाँ.	569	0.279 हे.	आबादी म. प्र. शासन	569 में बगीचा नजरबाग
					570	0.081 हे.		570 में छत्री में जाने का रास्ता
					571	0.454 हे.		571 में श्री यशवंत राव होल्कर प्रथम की छत्री.
					572	0.283 हे.		572 में तोपखाना गणेश मंदिर छत्री एवं भवन (नजर बाग में स्थित).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमेरखा ढोले, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. एफ-17-04-2019-ए-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2019 को निरस्त करते हुए एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को आवंटित/लीज पर दिये गये भू-खण्डों हेतु लीज निष्पादन के संबंध में मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में भू-खण्डों हेतु अनुमोदित लीजडीड के प्रारूप में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- (1) पैरा एक में General Manager District Trade & Industries Centre/Managing Director, Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर Executive Director, M. P. Industrial Development Corporation Limited Regional Office.
- (2) पैरा दो में प्रयोजन हेतु Logistic and Warehousing Hub/Park जोड़ा जाना.
- (3) कण्डिका एक में आदेश दिनांक 1-4-2015 के पश्चात् Order Number F-16-16/2017/A-Eleven dated 22-6-2018.
- (4) कण्डिका चार में provisionally and subject to the Govt. Orders जोड़ा जाना.
- (5) कण्डिका पाँच में Industrial Plot/Land के स्थान पर Logistic and Warehousing Hub/Park एवं District

Trade & Industries Centre/MP Audyogik Kendra Vikas Nigam के स्थान पर M. P. Industrial Development Corporation Limited Regional Office तथा General Manager/Managing Director के स्थान पर Executive Director.

- (6) कण्डिका ग्यारह में Prevailing lease rent whichever is less जोड़ा जाना.
- (7) कण्डिका पन्द्रह में any activity of the lessee which may cause or is causing inconvenience to nearby Industrial unit in proper functioning of their activities can be ground to cancel the lease deed of lessee.
- (8) कण्डिका सत्रह में The lessee shall not sublet, assign or otherwise transfer के स्थान पर The lessee may sublet built-up space erected there upon but shall not transfer
- (9) कण्डिका चौबीस में उद्योग वर्गीकरण माइक्रो स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान विलोपित किये जाकर लार्ज एण्ड मीडियम इण्डस्ट्रीयल यूनिट के प्रावधान लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग प्रयोजन हेतु मान्य बावत् संशोधन किया जाना.
- (10) कण्डिका इकतीस में आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2015 के पश्चात् Order Number F-16-16/2017/A-Eleven dated 22-6-2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

होशंगाबाद, दिनांक 1 अगस्त 2019

प्र. क्र. 10-अ-82-2019-20-2083.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करते के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		
(1) होशंगाबाद	(2) इटारसी	(3) मेहरागांव	(4) 5790 वर्गफुट	(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	(6) पवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेलवे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—पवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेलवे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 1279-भू-अर्जन-2019.—

राजगढ़, दिनांक 4 जुलाई 2019

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सादलपुर क्र 02 जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)				
सादलपुर क्र 02 जलाशय			तहसील - जीरापुर	
क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे)		
	निजी भूमि सादलपुर क्र 02 जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से			
1	ग्राम सादलपुर की भूमि	16.746		
	योग	16.746		
अनुसूची (2)				
क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मीनारायण प्रहलाद पिता मांगीलाल पारीबाई वि. मांगीलाल सरदारबाई पिता मांगीलाल अयोध्याबाई गुडडीबाई पिता किसन जाति दांगी	45, 47/2	0.065	0.065 ✓
2	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी	46, 47/1	0.108	0.108 ✓
		96	0.012	0.012 ✓
		97	0.040	0.040 ✓
		99	0.133	0.100 ✓

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
3	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल जाति दांगी	53/2	0.041	0.041 ✓
		56/3	0.061	0.061 ✓
		57/1	0.061	0.061 ✓
		57/2	0.076	0.076 ✓
		63/1/2	0.190	0.190 ✓
		63/2/1	0.113	0.113 ✓
		66/2	0.049	0.049 ✓
4	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल दरियावबाई छीताबाई पिता भोला बापूलाल नारायण पिता किसन जाति दांगी	65	1.186	0.320 ✓
		202	0.243	0.243 ✓
		212	2.003	0.580 ✓
5	कालूसिंह पिता कंवरलाल जसोदाबाई ललताबाई धापूबाई द्रोपताबाई पिता कंवरलाल बापू नारायण पिता किशनलाल जाति दांगी	228	0.454	0.454 ✓
		218	0.445	0.445 ✓
6	पूरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी	48/1	0.031	0.031 ✓
		76/1	0.024	0.024 ✓
		83	0.061	0.061 ✓
7	बद्रीलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी	48/2	0.062	0.062 ✓
		50/1	0.064	0.064 ✓
8	देवीलाल कुशलसिंह पिता मांगीलाल जाति दांगी	49	0.085	0.085 ✓
		50/2	0.021	0.021 ✓
9	देवीलाल कुशलसिंह पिता मांगीलाल सीताबाई बेवा मांगीलाल मदनलाल पिता काशीराम जाति दांगी	51/1	0.121	0.121 ✓
		52	0.036	0.036 ✓
		53/3	0.042	0.042 ✓
		56/4	0.050	0.050 ✓
		58/2	0.053	0.053 ✓
		60	0.049	0.049 ✓
		62/2	0.073	0.073 ✓
63/2/2	0.049	0.049 ✓		
10	गिरधारी पिता प्रभूलाल जाति दांगी	58/1	0.049	0.049 ✓
		59	0.057	0.057 ✓
		66/1	0.073	0.073 ✓

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
11	बापूलाल पिता किशन जाति दांगी	53/1/1	0.041	0.041 ✓
		54/1	0.029	0.029 ✓
		55/3/1	0.065	0.065 ✓
		56/2/1	0.025	0.025 ✓
		63/1/1/1	0.047	0.047 ✓
		63/1/1/3	0.048	0.048 ✓
		219/1/1	0.041	0.041 ✓
12	नारायण पिता किशन जाति दांगी	53/1/2	0.042	0.042 ✓
		54/2	0.028	0.028 ✓
		55/3/2	0.065	0.065 ✓
		56/2/2	0.026	0.026 ✓
		63/1/1/2	0.047	0.047 ✓
		63/1/1/4	0.048	0.048 ✓
		219/1/2	0.040	0.040 ✓
13	फूलसिंह मानसिंह गिरधारी बद्रीलाल राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति दांगी	55/1	0.007	0.007
14	राधेश्याम कन्हैयालाल पिता पुरीलाल बंसन्तीबाई पिता पूरीलाल जाति दांगी	56/1	0.044	0.044 ✓
		62/1/1	0.100	0.100 ✓
15	ग्यारसीराम बद्रीलाल पूरसिंह पिता हरलाल भंवरीबाई सम्पतबाई पुत्रीया हरलाल गुलाबबाई बेवा मांग्या कालू पिता मांग्या मांगीलाल पिता भंवरिया जाति भील नि. भालता	61	0.065	0.065 ✓
		75	0.049	0.020 ✓
16	गोरधन सुल्तान पिता रतन जाति दांगी	62/1/2	0.021	0.021 ✓
17	रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी	64/1	0.061	0.061 ✓
		67/1/1	0.075	0.075 ✓
		69/1/1	0.011	0.011 ✓
		73/2	0.105	0.105 ✓
		104/1	0.105	0.080 ✓
18	भंवरलाल पिता बापूलाल जाति दांगी	64/2	0.060	0.060 ✓
		67/1/2	0.076	0.076 ✓
		69/1/2	0.010	0.010 ✓
		104/2	0.105	0.080 ✓
		107,108	0.121	0.121 ✓

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
19	प्रहलाद पिता पुरा जाति दांगी	67/2	0.075	0.075 ✓
		69/2	0.010	0.010 ✓
20	सुन्दरबाई बेवा शिवनारायण कुशालसिंह पिता शिवनारायण जाति दांगी	67/3	0.075	0.075 ✓
21	गोवर्धन पिता नारायण जाति दांगी	67/4	0.075	0.075 ✓
		69/4	0.011	0.011 ✓
22	नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	68/1	0.029	0.029 ✓
		70/2	0.039	0.039 ✓
		103	0.077	0.020 ✓
23	नाथूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	219/2	0.077	0.077 ✓
24	नारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी	68/2	0.028	0.028 ✓
25	कमलसिंह पिता कंवरलाल रतनबाई वि. कंवरलाल बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दांगी	68/3	0.028	0.028 ✓
		70/1	0.074	0.074 ✓
26	नरसंग पिता पुरा जाति दांगी	69/3	0.011	0.011 ✓
27	रामबक्ष पिता नानूराम जाति दांगी	71	0.186	0.186 ✓
28	रामबगस पिता नानूराम जाति दांगी	79	0.166	0.166 ✓
29	रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी	72/1	0.056	0.056 ✓
30	रामप्रसाद पिता नारायण जाति दांगी	72/2	0.057	0.057 ✓
		76/2	0.025	0.025 ✓
		77	0.077	0.077 ✓
		86/2	0.073	0.073 ✓
31	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी	73/1	0.089	0.089 ✓
32	रामप्रसाद पिता मांगीलाल मोतीलाल नरसंगलाल पिता नाथू मथरीबाई पिता नाथू जाति दांगी	74	0.097	0.097 ✓
		78	0.121	0.121 ✓
		82	0.069	0.069 ✓
		85	0.109	0.109 ✓
		233	1.060	0.752 ✓
33	प्रभूलाल पिता नन्दा जाति दांगी	86/1/1	0.068	0.068 ✓
34	पुरीलाल पिता नन्दा जाति दांगी	86/1/2	0.034	0.034 ✓
35	कंचनबाई वि. अमरसिंह प्रहलाद राधेश्याम गीताबाई गुडडीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी	87	0.101	0.101 ✓

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
36	प्रहलाद राधेश्याम पिता अमरसिंह कंचनबाई वि. अमरसिंह गीताबाई गुड्डीबाई सीताबाई पिता अमरसिंह जाति दांगी	88/1	0.095	0.095 ✓
		203/3	0.077	0.077 ✓
		214/3	0.015	0.015 ✓
		221/4	0.065	0.065 ✓
		223/1	0.060	0.060 ✓
37	गीताबाई पति रामप्रसाद जाति दांगी	88/2	0.094	0.094 ✓
38	रोडूलाल मदन पिता भैरु जाति दांगी	88/3	0.047	0.047 ✓
39	रोडूलाल पिता भैरु जाति दांगी	192/2	0.073	0.035 ✓
		205	0.032	0.032 ✓
		209	0.275	0.275 ✓
40	शिवसिंह पिता बापूलाल जाति दांगी	88/4	0.047	0.047 ✓
41	गोरधन पिता मनोहरलाल जाति दांगी	89/1	0.176	0.176 ✓
		90	0.065	0.065 ✓
		94/3	0.049	0.049 ✓
42	मनोहरलाल हरिसिंह किशनलाल पिता धुरीलाल गीताबाई यशोदाबाई कमलबाई पिता धुरीलाल जाति दांगी	89/2	0.059	0.059 ✓
43	कंवरलाल मोतीलाल पिता देवीसिंह जाति दांगी	91/1	0.018	0.018 ✓
		190/1	0.251	0.220 ✓
		211/1	0.109	0.060 ✓
44	गंगाराम पिता कनीराम मोताबाई पिता कनीराम जाति दांगी	91/2	0.018	0.018 ✓
		190/2	0.251	0.220 ✓
45	नारायण पिता उदा मांगीबाई पिता उदा जाति दांगी	92,93	0.040	0.040 ✓
		192/1	0.069	0.050 ✓
		193	0.121	0.121 ✓
		207, 208	0.069	0.069 ✓
		210	0.166	0.166 ✓
		213	0.121	0.121 ✓
46	हीरालाल पिता रामलाल जाति दांगी	94/1	0.099	0.099 ✓
47	केसरसिंह पिता रामलाल जाति दांगी	94/2	0.050	0.050 ✓
48	हीरालाल मांगीलाल गोरीलाल पिता पुरीलाल दरयावबाई कृष्णाबाई पिता पुरीलाल जाति दांगी	98	0.069	0.069 ✓
49	मनोहरलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी	105/1/1,	0.081	0.081 ✓
		106/1/1		

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
50	रामबाबू पिता कन्हैयालाल रोडीबाई वि. कन्हैयालाल दुर्गाबाई सुमित्राबाई पिता कन्हैयालाल जाति दांगी	105/1/2 106/1/2	0.040	0.040 ✓
51	देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी	105/2/1 106/3/1	0.040	0.040 ✓
52	चम्पालाल पिता मांगीलाल जाति दांगी	105/2/2	0.040	0.040 ✓
53	रोडीलाल पिता पुरा जाति दांगी	109	0.105	0.105 ✓
54	नारायण पिता मोहनलाल जाति दांगी	110	0.069	0.020 ✓
55	रंगलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	145	0.012	0.012 ✓
56	शिवलाल फूलसिंह श्रीलाल कंवरलाल पिता उदा देवीलाल पिता मेहताब मांग्या गुलाब पिता सवला राधेश्याम रामप्रसाद पिता जगन्नाथ जमनीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी	151	0.057	0.057 ✓
57	धुला पिता मेहताब जाति दांगी	170	0.081	0.081 ✓
58	बदनबाइ बैवा मांगीलाल जाति दांगी	171	0.081	0.081 ✓
59	रोडीलाल मांगीलाल कंवरलाल पिता रामलाल गुलाबबाई पिता रामलाल जाति दांगी	172	0.049	0.049 ✓
		176	0.049	0.049 ✓
60	उंकारलाल बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दांगी	173	0.316	0.316 ✓
		177	0.081	0.081 ✓
61	काशीराम पिता मेहताब जाति दांगी	174	0.113	0.113 ✓
62	फूलसिंह पिता प्रभूलाल जाति दांगी	175/1/1	0.028	0.028 ✓
63	शिवलाल पिता प्रभूलाल जाति दांगी	175/1/2	0.029	0.029 ✓
64	देवीलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी	175/2	0.056	0.056 ✓
65	मदन पिता भैरु जाति दांगी	178/1/1	0.035	0.035 ✓
		178/1/2	0.034	0.034 ✓
		178/2/1	0.035	0.035 ✓
		178/2/2	0.034	0.034 ✓
66	बापू पिता किशन जाति दांगी	194/1	0.020	0.020 ✓
		196/1	0.010	0.010 ✓
67	मदन पिता किशन जाति दांगी	194/2	0.020	0.020 ✓
		196/2	0.010	0.010 ✓

क्रं	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
68	मदन पिता किशन जाति दांगी	220/2	0.027	0.027 /
		221/2	0.033	0.033 /
		203/2	0.039	0.039 -
		214/2	0.007	0.007 /
69	रामबगस पिता किशन जाति दांगी	194/3	0.020	0.020 /
		196/3	0.020	0.020 /
70	मांगीलाल पिता उंकार जाति दांगी	195	0.093	0.093 /
		199	0.040	0.040 /
71	मांगीलाल पिता पुरा धापूबाई रूपाबाई पिता पुरा रामसिंह पिता खुमानसिंह जाति दांगी	198, 200	0.170	0.170 /
72	भैरू पिता किशन जाति दांगी	203/1	0.038	0.038 /
		214/1	0.008	0.008 /
		220/1	0.026	0.026 /
		221/1	0.032	0.032 /
73	मांगीलाल पिता प्यारा सुडीबाइ पिता प्यारा जाति दांगी	203/4	0.077	0.077 /
		214/4	0.015	0.015 /
		220/3	0.052	0.052 /
		221/3	0.064	0.064 /
		223/4	0.060	0.060 /
74	नारायण पिता गोपी जाति दांगी	204	0.032	0.032 /
75	मोतीलाल पिता देवसिंह जाति दांगी	206	0.085	0.085 /
76	गोपी पिता घीसा जाति दांगी	215	1.481	1.481 /
		222	0.061	0.061 /
		224	0.089	0.089 /
		225	0.101	0.101 /
77	प्रभूलाल पिता सुखाराम जाति दांगी	217/1/1	0.155	0.030 /
78	मांगीलाल पिता गंगाराम जडावबाई बैवा गंगाराम जाति दांगी	217/1/2	0.155	0.030 /
79	कैलाश पिता गोपीलाल जाति दांगी	223/2	0.031	0.031 /
		223/3	0.031	0.031 /
		226	0.040	0.040 /
80	हजारीलाल पिता गुलाब जाति दांगी	229/2	0.312	0.107 /

क्रं	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
81	बद्रीलाल मदनलाल बाबरसिंह पिता काशीराम जाति दांगी	230	0.530	0.530 ✓
82	मोतीलाल पिता भेरू पानीबाई बेवा भेरू धूला जगन्नाथ कान्हा पिता रामा जाति चमार	231/1	0.213	0.213 ✓
83	कान्हा पिता रामा जाति चमार	231/2	0.212	0.212 ✓
84	ऊंकारलाल पिता देवसिंह जाति दाँगी पता सादलपुर	169/1	0.108	0.108 ✓
85	बजेसिंह पिता देवीसिंह जाति दाँगी पता सादलपुर	169/2	0.108	0.050 ✓
86	देवीलाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता सादलपुर	169/3	0.108	0.030 ✓
87	देवीलाल चंपालाल पिता मांगीलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	166/3	0.027	0.027 -
88	मांगीलाल शिवलाल मोतीलाल पिता ऊंकार प्रेमसिंह पिता हीरालाल ग्यारसीबाई बेवा हीरालाल जाति दाँगी निवासी ग्राम	152/1	0.044	0.044 ✓
89	गंगाराम कुशलसिंह पिता पूरा केसरबाई वि पूरा जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	152/2	0.045	0.045 ✓
90	मांगीलाल गोरधन पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	142/1	0.022	0.022 ✓
91	नारायण आ मोहनलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	142/2	0.023	0.023 ✓
92	पुरीलाल पिता भंवरलाल जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/1	0.265	0.265 ✓
93	कमलसिंह पिता कंवरलाल, रतनबाई वि. कंवरलाल, बनेसिंह बापू पिता मानसिंह जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/2	0.044	0.044 ✓
94	नारायण पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/3	0.044	0.044 ✓
95	नाथुलाल पिता जगन्नाथ जाति दाँगी पता निवासी ग्राम	232/4	0.044	0.044 ✓
	कुल योग -		20.320	16.746

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 10 जुलाई 2019

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के रा0 प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/भूअ./2019-20 म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र0 एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जो कि म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है के द्वारा जिले के कलेक्टर को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे0 (दस हजार हे0) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10(A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3(e) के अनुसार राज्य शासन है।) को (धारा 9 -सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय-तीन के अनुसार- इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जो दीर्घकालीन प्रकृति की है, जैसे कि रेल,राजमार्गों, प्रमुख जिला सडकें, सिंचाई नहरें,विद्युत लाइनें, आदि, लागू नहीं होंगे।) उक्त के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है।

कटनी जिले में भारत सरकार के रेल मंत्रालय से स्वीकृत वृहद रेल परियोजना है जिसमें वृहद पुल निर्माण तथा उस पर रेल यातायात हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास, जनहित संबंधी है। अतः से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31.12.14 एवं 03.04.15 एवं 09.11.2017 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है।

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

जिला का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	कुल प्रभावित खातेदारों की संख्या	कुल प्रभावित खसरा नंबर	अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
कटनी	कटनी (नगर)	मुडवारा प.ह.नं. 42	01	01	0.022	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु
कटनी	कटनी	कैलवाराखुर्द प.ह.नं. 21	19	19	0.100	
कटनी	कटनी	पडरिया प.ह.नं. 31	98	98	3.980	
कटनी	कटनी	झलवारा प.ह.नं. 30	11	11	0.820	
कटनी	कटनी	हिरवारा प.ह.नं. 32	10	10	0.510	
कुल योग		05	139	139	5.432	

अनुसूची

प्रकरण में अर्जन की जाने वाली शासकीय भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

जिला	तहसील	ग्राम	शासकीय भूमि के अर्जन का कुल रकवा हे०	सार्वजनिक प्रयोजन
कटनी	कटनी	हिरवारा प.ह.नं. 32 पडरिया प.ह.नं. 31 झलवारा प.ह.नं. 30	0.220 0.770 7.360	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु
कुल योग		03	8.350	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशिभूषण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 27-अ-82-16-17-चिचण्डा-8503.-

बैतूल, दिनांक 18 जुलाई 2019

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	चिचण्डा	0.046	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	संतोषराव, मारोती व. चैत्याय, कमरजी बेवा चैत्या सा. देह	145/1 149/1 165/1	0.395 2.934 0.531	0.046
योग				0.046

- 1- चूंकि तीसरी रेलवे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 09-अ-82-15-16-कुण्डई-8504.—

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-(2)में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक30सन् 2013)की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	कुण्डई	0.134	तीगांव -चिचोण्डा तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची-(2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	इमलबाई जौजे सुन्दर पवार सा० देह	257/2	0.992	0.035
2	भूता व० नंदलाल, छितरी पिता नंदलाल, सरस्वती बेवा किसन, रामदास, देवीदास व० किसन, सनावती पिता किसन मधु व० नंदु, रंगा, गंगा, पिता नंदु सा० देह	256/1	1.708	0.099
योग			2.700	0.134

(2) चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 25/26 जुलाई 2019

प्र. क्र. 60-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-17-18-8671-1

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम डभेरा प0ह0क0-49..... रा0नि0 वृत्-04 तहसील -सवलगढ उपखण्ड- सवलगढ जिला-मुरैना में कुल 2.737 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- डभेरा प0ह0क0-49..... रा0नि0 वृत्-04 तहसील- सवलगढ उपखण्ड- सवलगढ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ
ग. ग्राम डभेरा
घ. लगभग क्षेत्रफल 2.737 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	25	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	0.003	कम्मोदा वेवा गोविन्दा जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार भूमि विक्रय से वर्जित है
2	26	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.016	केशवसिंह पुत्र परसराम जाति ठाकुर पता नि0 सुनहरा भूमि स्वामी
3	27/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.014	महाराज सिंह पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	27/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.015	भगवनलाल पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5	27/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	0.022	नरोत्तम पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6	27/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	0.028	जसराम पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7	27/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	0.039	दौजी पुत्र सुक्खू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

8	28/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.055	दौजी पुत्र सुखू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9	29	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.088	सुखपालसिंह पुत्र नृपालसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10	30	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.011	मु० शान्ति बेवा लखू सियाराम रामजीलाल पुत्र लखू लीला असरफी मीरा गुडिया पुत्रियां लखू जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
11	31/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.044	ल्होई बेवा मुरली जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12	31/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.084	मु० शान्ति बेवा लखू सियाराम रामजीलाल पुत्र लखू लीला असरफी मीरा गुडिया पुत्रियां लखू जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
13	33	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	0.112	नबलू बनवारी आ० बलवन्त बैजन्ती पारवती पुत्रियां बलवन्त समान भाग 4/25 सोनी पुत्री धर्मजीत हि० 1/5 जीगन्दे बेवा घन्सू जसस्थ उर्फ पप्पू आ० घन्सू कस्तुरी पुत्री घन्सू स० भाग 3/20 मुन्शी पप्पू नावा० आ० राजाराम भूमि स्वामी सरप० पिता खुद समान भाग 1/5 भौदू पुत्र सुखदेव शान्ति वा० गुडडी नाबा० पुत्र सुखदेव सरप अजुध्दी बेवा सुखदेव समान भाग 4/25 शकुन्तला बेवा हरीशचन्द्र बलवीर रनवीर राजेन्द्र नाबा० पुत्र हरीशचन्द्र रामा नीलम नावा० पुत्रिया हरीशचन्द्र स० भाग 1/25 जाति काछी पता नि० ग्राम सुरेश पुत्र ल्होरे भाग 9/100 जाति रावत पता निवासी चनौटा भूमि स्वामी
14	34	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	0.086	हफीज पिता सकूर भाग 19/95 कलिया हरयाना पुत्रियां सकूर स० भाग 13/95 समसाद पिता सकूर भाग 63/95 जाति मुसलमान पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
15	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	निसारुदीन पुत्र नबाब खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	36	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.280	हफीज पिता सकूर भाग 19/95 कलिया हरयाना पुत्रियां सकूर स० भाग 13/95 समसाद पिता सकूर भाग

				13/95 समसाद पिता सकूर भाग 63/95 जाति मुसलमान पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
17	42	0.150	0.062	शिवचरन मुन्ना कल्याण पुत्रगण नन्दू आशा पुत्री नन्दू समान भाग जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
18	43/1	0.080	0.080	निसारुउट्टीन पुत्र नबाब खॉ जाति मुसलमान पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
19	43/2	0.070	0.044	निसारुउट्टीन पुत्र नबाब खॉ जाति मुसलमान पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
20	44	0.150	0.109	निसारुउट्टीन पुत्र नबाब खॉ जाति मुसलमान पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
21	45	0.060	0.060	संजय पुत्र भैरो लाल जाति ब्र. निवासी फतेचन्द कलोनी सवलबढ द्वारा सचिव कलादेवी शिक्षा समाज एवं जन कल्याण एवं बहुउद्देशीय समिति सवलबढ जिला मुरैना भूमि स्वामी
22	46	0.150	0.150	बैबी पत्नि निसारुदीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम डभैरा तहसील सबलगढ़
23	47/1	0.700	0.075	नवलू पुत्र बलवन्त भाग 29/70 भजनलाल बनवारी पुत्रगण बलवन्त हि० 21/70 बैजन्ती पार्वती पुत्रियां बलवन्त स० भाग 20/70 जाति काछी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
24	47/2	0.760	0.004	कमलसिंह पुत्र पदमसिंह भाग 248/760 जगदीशसिंह पुत्र पदमसिंह भाग 263/760 जाति ठाकुर नि० सुनहेरा कल्याण सिंह पुत्र रामचरण भाग 160/760 जाति रावत नि० ग्राम थरा तह० जौरा शिवचरण पुत्र भगवानलाल भाग 52/760 जाति त्यागी ब्रा० नि० लाडपुरा तह० विजयपुर महावीर पुत्र रामदयाल भाग 37/760 जाति रावत पता नि० झुण्डपुरा भूमि स्वामी
25	73/मिन 2	0.510	0.364	बदरे आलम पुत्र मोहम्मद अली हसन

						जाति मुसलमान पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भूमि विक्रय से बर्जित है
26	26 / 256	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.022	लालपति सियाराम सुग्रीव पुत्रगण झीगुरिया बसन्ती कुण्ठा पुत्रियां झीगुरिया पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
27	60 / 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.280	0.820	गोपाल नरेश सुरेश श्रीनिवास पुत्रगण फैलू जाति जाटव निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी शासकीय पट्टेदार भूमि विक्रय से वर्जित है।
कुल	27			5.790	2.737	

(कुल)

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

L

प्र. क्र. 56-अ-82-भू-अर्जन-17-18-8671-2

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-तिन्दोली प0ह0क0-5.4... रा0नि0 वृत्-0.4... तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 9.644 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- तिन्दोली, प0ह0क0-5.4... रा0नि0 वृत्-0.4... तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम तिन्दोली
घ. लगभग क्षेत्रफल 9.644 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	68/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.258	रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ़ भूमिस्वामी।
2	68/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.260	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ़ भूमिस्वामी।
3	69	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.420	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ़ भूमिस्वामी।
4	70	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.127	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ़ भूमिस्वामी।
5	96/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.280	दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्रा0 सबलगढ़ भूमिस्वामी।
6	96/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.097	पतिराम पुत्र भागीरथ जाति त्यागी पता नि0 ग्राम सबलगढ़ भूमिस्वामी।
7	111/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.070	लक्ष्मीबाई प्रेमबाई गुड्डी बाई पूत्रीयां जगन्नाथ जाति त्यागी पता नि0 ग्राम

						सबलगढ भूमिस्वामी।
8	111/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.024	पतिराम पुत्र भागीरथ जाति त्यागी पता नि० ग्राम सबलगढ भूमिस्वामी।
9	113	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	मु० किशनो बेवा मांगीलाल रमेश श्रीराम रामस्वरूप पुत्रगण मांगीलाल प्रेम पुत्री मांगीलाल समान भाग हि० 5/6 गोरीशंकर लोकेन्द्र पुत्रगण रामस्वरूप समान भाग हि० 1/6 जाति त्यागी पता नि० ग्राम सबलगढ।
10	114	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.050	मु० सिरमिती बेवा देवीसिंह रामप्रकाश रामकुमार नारायण पुत्रगण देवीसिंह राजेश्वरी पुत्री देवीसिंह समान भाग 3/28 रमेशचन्द्र पुत्र मांगीलाल भाग 25/28 जाति त्यागी पता नि० सबलगढ।
11	115	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.750	0.543	वासुदेव पुत्र गजाधर भाग 9/16 चम्पा बाई पत्नी गोपाल बलिराम पुत्र गजाधर मुन्नी कृष्णा प्रेमलता पुत्रीयां गजाधर मु० भगवानकुअर बेवा गजाधर समान भाग 7/16 जाति नाई नि० सबलगढ।
12	141	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.790	0.521	अशोक बा० नरेश नरोत्तम नावा० पुत्रगण हरीसिंह कमला बा० सीमा मीना नाबा० पुत्रीयां हरीसिंह सर० मा खुद मु० अजुध्दी बेवा हरिसिंह समान भाग जाति काछी नि० सबलगढ।
13	142	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.528	नारायण नरोत्तम पुत्रगण रम्मू लक्ष्मी पुत्री रम्मू जाति जाटव पता निवासी सबलगढ।
14	144	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.189	मु० किशनो बेवा मांगीलाल रमेश श्रीराम रामस्वरूप पुत्रगण मांगीलाल प्रेम पुत्री मांगीलाल समान भाग हि० 5/6 गोरीशंकर लोकेन्द्र पुत्रगण रामस्वरूप समान भाग हि० 1/6 जाति त्यागी पता नि० ग्राम सबलगढ।
15	145	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.107	मु० सिरमिती बेवा देवीसिंह रामप्रकाश रामकुमार नारायण पुत्रगण देवीसिंह राजेश्वरी पुत्री देवीसिंह समान भाग 3/28 रमेशचन्द्र पुत्र मांगीलाल भाग 25/28 जाति त्यागी पता नि० सबलगढ।

16	153	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.198	गीतादेवी पत्नि सुरेन्द्र प्रसाद जाति त्यागी नि० सबलगढ़।
17	154	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.192	रामभजन पुत्र बाबूलाल लक्ष्मीबाई नबलो सुखिया पुत्रीयां बाबूलाल समान भाग जाति त्यागी नि० सबलगढ़।
18	155	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.660	0.494	मु० श्रीमती बेवा गयालाल नरेन्द्र धर्मेन्द्र विष्णु पुत्रगण गयालाल जाति त्यागी नि० सबलगढ़।
19	160	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.011	मु० कमलेश बेवा जगदीश प्रसाद गिरजा पुत्री जगदीश प्रसाद समान भाग 1/12 मुन्नी कला पुत्रियां बंदी प्रसाद समान भाग 1/6 अशोक पवन पुत्रगण मुल्ला मु० जीगनदे बेवा मुल्ला लक्ष्मीबाई पुत्री मुल्ला समान भाग 1/6 मु० पार्वती बेवा ग्यासिया भाग 1/12 बुधिया पुत्री छोटेपत्नी मुंशी भाग 1/6 श्रीया पुत्री छोटे भाग 1/12 मु० बादामी बेवा रामचरण सोनपाल कमलेश जितेन्द्र पुत्रगण रामचरण शीला पुत्री रामचरण समान भाग 1/4 जाति काछी नि० सबलगढ़।
20	164	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	0.337	बीरवल लक्ष्मीचंद्र पुत्रगण लल्लू समान भाग जाति कोरी नि० सबलगढ़।
21	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.396	लीलादेवी पत्नि कैलाशनारायण रकबा 0.21 मातादीन पुत्र छोटेराल रकबा 0.20 जाति कोरी नि० सबलगढ़।
22	166	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.220	मु० कमलेश बेवा जगदीश प्रसाद गिरजा पुत्री जगदीश प्रसाद समान भाग 1/12 मुन्नी कला पुत्रियां बंदी प्रसाद समान भाग 1/6 अशोक पवन पुत्रगण मुल्ला मु० जीगनदे बेवा मुल्ला लक्ष्मीबाई पुत्री मुल्ला समान भाग 1/6 मु० पार्वती बेवा ग्यासिया भाग 1/12 बुधिया पुत्री छोटेपत्नी मुंशी भाग 1/6 श्रीया पुत्री छोटे भाग 1/12 मु० बादामी बेवा रामचरण सोनपाल कमलेश जितेन्द्र पुत्रगण रामचरण शीला पुत्री रामचरण समान भाग 1/4 जाति काछी नि० सबलगढ़।

23	167	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.019	मन्दिर श्री सीताराम जी का पुख्ता वाके किला सवलगढ़ देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना भूमि स्वामी भू राजस्व विलमुक्ता 19.12
24	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.025	मन्दिर श्री सीताराम जी का पुख्ता वाके किला सवलगढ़ देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना भूमि स्वामी भूराशा 167
25	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.630	0.010	मन्दिर श्री सीताराम जी का पुख्ता वाके किला सवलगढ़ देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना भूमि स्वामी भूराशा 167
26	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.488	मु० कमलेश बेवा जगदीश प्रसाद गिरजा पुत्री जगदीश प्रसाद समान भाग 1/12 मुन्नी कला पुत्रियां बट्टी प्रसाद समान भाग 1/6 अशोक पवन पुत्रगण मुल्ला मु० जीगनदे बेवा मुल्ला लक्ष्मीबाई पुत्री मुल्ला समान भाग 1/6 मु० पार्वती बेवा ग्यासिया भाग 1/12 बुधिया पुत्री छोटेपत्नी मुंशी भाग 1/6 श्रीया पुत्री छोटे भाग 1/12 मु० बादामी बेबा रामचरण सोनपाल कमलेश जितेन्द्र पुत्रगण रामचरण शीला पुत्री रामचरण समान भाग 1/4 जाति काछी नि० सबलगढ़।
27	171	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.320	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग 46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रह्मानन्द भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा० नि० सवलगढ़।
28	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	0.550	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग 46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रह्मानन्द भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा० नि० सवलगढ़।
29	173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.209	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग

						46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द्र समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रह्मानन्द भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द्र भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा० नि० सबलगढ़।
30	174	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.159	दीनदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण भाग 46/109 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामकिशोर श्रीमती रामदेवी पत्नि रमेशचन्द्र समान भाग 63/109 दरभाग 1/2 गिरिजा पत्नी ब्रह्मानन्द भाग 70/109 रामकिशोर पुत्र रमेशचन्द्र भाग 38/109 दर भाग 1/2 जाति ब्रा० नि० सबलगढ़।
31	186	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.306	मु० फुलबाई बेवा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रीया श्रीगोपाल समान भाग 139/278 द्वारिकाप्रसाद शिवनन्दन पुत्रगण गनपति समान भाग 139/278 जाति ब्रा० नि० सबलगढ़।
32	187	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.370	मु० फुलबाई बेवा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रीया श्रीगोपाल समान भाग 139/278 द्वारिकाप्रसाद शिवनन्दन पुत्रगण गनपति समान भाग 139/278 जाति ब्रा० नि० सबलगढ़।
33	188	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.330	मु० फुलबाई बेवा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रीया श्रीगोपाल समान भाग जाति ब्रा० नि० सबलगढ़।
34	189	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.330	मु० भागवती बाई बेवा ओमप्रकाश विनोद दिलीप हरिओम संतोष पुत्रगण ओमप्रकाश ललिता नीलम पुत्रीया ओमप्रकाश समान भाग 32/106 जाति नाई दिनेश उर्फ परशुराम पुत्र मुशीराम भाग 21/106 जाति काछी निवासी शिवलालपुराबाग मुरारी पुत्र फेलू भाग 53/106 जाति नाई नि० सबलगढ़।
35	190	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.350	मु० भागवती बाई बेवा ओमप्रकाश विनोद दिलीप हरिओम संतोष पुत्रगण ओमप्रकाश ललिता नीलम पुत्रीया

						ओमप्रकाश समान भाग 32/106 जाति नाई, दिनेश उर्फ परशुराम पुत्र मुंशीराम भाग 21/106 जाति काछी निवासी शिवलालपुराबाग मुरारी पुत्र फेलू भाग 53/106 जाति नाई नि० सबलगढ़।
36	191	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.180	बाबूलाल छोटेलाल भरतलाल पुत्रगण गोविन्दा रामश्री रामदुलारी पुत्रियां गोविन्दा समान भाग 5/6 जाति काछी नि० सबलगढ़ सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह भाग 2/5 जाति ठाकुर नि० न्यू सब्जी मंडी के समाने सतीपुरम मुरैना व अमित कुमार पुत्र गिरिश वंसल भाग 3/5 दर भाग 1/6 जाति बैश्य नि० न्यू कुशल नगर ग्वालियर।
37	192	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	0.082	बाबूलाल छोटेलाल भरतलाल पुत्रगण गोविन्दा रामश्री रामदुलारी पुत्रियां गोविन्दा समान भाग 5/6 जाति काछी नि० सबलगढ़ सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह भाग 2/5 जाति ठाकुर नि० न्यू सब्जी मंडी के समाने सतीपुरम मुरैना व अमित कुमार पुत्र गिरिश वंसल भाग 3/5 दर भाग 1/6 जाति बैश्य नि० न्यू कुशल नगर ग्वालियर।
38	193	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.257	कल्लूराम पिता सन्नूराम जाति कोरी निवासी सबलगढ़।
39	194	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.440	0.275	मु० फुलबाई बेबा श्रीगोपाल पूरन अनिल पुत्रगण श्रीगोपाल परवीन ममता राधा पुत्रियां श्रीगोपाल समान भाग 139/278 द्वारिकाप्रसाद शिवनंदन पुत्रगण गनपति समान भाग 139/278 जाति ब्रा० नि० सबलगढ़।
40	200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.670	0.012	द्वारिकाप्रसाद शिवनंदन पुत्रगण गनपतिलाल समान भाग जाति ब्राह्मण नि० सबलगढ़।
कुल किता 40				15.710	9.644 है०	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 58-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-गुदायामाफी-8671-3

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और रुपुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठितभूमिअर्जन, पुनर्वासन और रुपुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और रुपुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (गवालियर श्योपुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-गुदायामाफी, प0ह0क0-...९1..... रा0नि0 वृत्त-...04... तहसील-सबलगढ़ उपखण्ड-सबलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.094 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-गुदायामाफी प0ह0क0-...९1..... रा0नि0 वृत्त-...04... तहसील-सबलगढ़ उपखण्ड-सबलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सबलगढ़
ग. ग्राम गुदायामाफी
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.094 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेनंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	140	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.480	0.003	शिवचरनलाल हि0 3/4 नारायणलाल हि0 1/4 पुत्रगणभ गवानलाल जाति किरार पता निवासी पासोनखुर्द भूमिस्वामी भू-राजस्व 8.19

2	153/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.080	0.031	रामचरनलालपुत्र मोतीजाति धाकड़ पता निवासी ग्रामनारायनपुरा भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.85
3	153/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.070		सरवनपुत्र मोतीलालजाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.60
4	153/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010		शंकरलालपुत्र मोती जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.23
5	153/4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.020		शंकर रामचरन सरवन पुत्रगण मोती जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम नारायनपुरा भूमिस्वामीभू-राजस्व 0.45

						भू-राजस्व 0.45
6	154	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.016	शंकरलाल पुत्र मोती जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.62
7	156	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.580	0.044	नरेन्द्र कुमार पुत्र हरिचरन हि0 1/2 कृष्णकान्त हरिओम राजेश पुत्रगण नरेन्द्र कुमार समान भाग हि0 1/4 मु ओमश्री वेवा रविन्द्र चन्द्रप्रकाश बा सत्यप्रकाश नाबा0 पुत्रगण रविन्द्र रेनु बा पल्लवी मुस्कान नाबा पुत्रिया रविन्द्र सरप नरेन्द्र समान भाग 1/4 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 10.00
कुल				1.570	0.094	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 78-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8671/5

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-कीरतपुर प0ह0क0-33... रा0नि0 वृत्-02... तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.777 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- कीरतपुर प0ह0क0-33... रा0नि0 वृत्-02... तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम कीरतपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.777 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	835	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.132	प्रभूदयाल पुत्र बलबन्त जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	838	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.039	आनन्दी बेवा काशीराम शिवसिंह नरेत्तम पुत्रगण काशीराम समान भाग हि0 3/4 कलाबंती बेवा भोगीराम हरीशचन्द पुत्र भोगीराम उर्मिला उर्फ गुडडी पुत्री भोगीराम समान भाग हि0 1/4 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
3	841	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	0.036	रघुनन्दन पुत्र सामन्त जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
4	842	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.066	आनन्दी बेवा काशीराम शिवसिंह नरेत्तम पुत्रगण काशीराम समान भाग हि0 3/4 कलाबंती बेवा भोगीराम हरीशचन्द पुत्र भोगीराम उर्मिला उर्फ गुडडी पुत्री भोगीराम समान भाग हि0 1/4 जाति किरार पता

						नि० ग्राम भूमिस्वामी।
5	843	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.360	0.041	रघुनन्दन पुत्र सामन्त जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
6	883	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.870	0.016	देवीलाल केदार प्यारेलाल रामनिवास जगदीश अमरसिंह पुत्रगण भैरोलाल रामहेती पुत्री भैरोलाल समान भाग जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
7	884	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.033	मु० कम्मोदा बेवा जनवेद पातीराम रामलखन प्रहलाद पुत्र जनवेद शकुन्तला शिमला पुत्रियां जनवेद समान भाग जाति किरार नि० ग्राम भूमिस्वामी।
8	885	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.011	मु० रम्मो बेवा गोपी नरोत्तम हाकिम अशोक वा० महेश नाबा० पुत्रगण गोपी सर मां रम्मो खुद मीरा लच्छो पुत्रीयां गोपी समान भाग जाति बाढई पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
9	886	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	0.011	रघुवीर लाखन पुत्रगण रामचरण उम्मेदी दुल्लारी पुत्रीयां रामचरण मु० कलावती बेवा रामचरण जाति बाढई नि० ग्राम भूमिस्वामी।
10	887	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	0.017	शंकर पिता मुल्ला जाति बाढई पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	888	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.020	पुरुषोत्तम पुत्र मदन हुकुमबाई पुत्री मदन समान भाग हि० 2/4 रमेश राजेन्दी मांगी सत्यभान पुत्रगण रामगोपाल हि० 1/5 राजकुमारी ल्होई रेखा पुत्रियां सिद्धनाथ समान भाग हि० 1/20 जाति बाढई नि० ग्राम रामेश्वर जण्डेल पुत्रगण सूखा नर्मदा बेवा सूखा कम्पूरी सरोज पुत्रियां सूखा समान भाग हि० 1/4 जाति बाढई नि० ग्राम भूमिस्वामी।
12	889	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.039	अतरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हि० 1/4 विटोला बेवा शंकरसिंह हि० 1/4 हरनाम सिंह निर्भयसिंह पंचम सिंह पुत्रगण शिवसिंह समान भाग हि० 1/4 श्यामादेवी बेवा मंगलसिंह अमूपसिंह सुरेन्द्र सिंह विजेन्द्र सिंह पुत्रगण मंगलसिंह राजकिशोरी पुत्री मंगलसिंह समान भाग हि० 1/4 नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	890	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.028	विक्रमसिंह उदयवीर सिंह बिजेन्द्र सिंह पिता दुर्गसिंह लक्ष्मी पुत्री दुर्गसिंह कमला बेवा दुर्गसिंह जाति ठाकुर समान भाग नि० ग्राम भूमिस्वामी।

14	891	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.039	हबलदार सिंह पिता कम्मोद सिंह जाति ठाकुर नि० ग्राम भूमिस्वामी।
15	896	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	0.064	हरिबल महिपति पुत्रगण मातिलाल द्रोपति पुत्री मातिलाल जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
16	897	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.004	रघुनन्दन पुत्र सामन्त जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
17	899	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.069	सोवरन सिंह पुत्रि बाबू सिंह जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
18	900	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.039	भौरू बीरबल दाताराम पुत्र हीरालाल गुडडी पुत्री हीरालाल हि० 2/103 समान भाग लीला देवा ओमप्रकाश विवके पुत्र ओमप्रकाश अंजू दीपा पुत्रियां ओमप्रकाश समान भाग हि० 17/206 सुरेश पुत्र भूरुलाल हि० 17/206 टीकाराम रतीराम शोभाराम हरिसिंह जीवनलाल महेन्द्र पुत्र शिवचरण समान भाग हि० 84/103 जाति किरार नि० ग्राम भूमिस्वामी।
19	906	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.920	0.073	भौरू बीरबल दाताराम पुत्र हीरालाल गुडडी पुत्री हीरालाल हि० 2/103 समान भाग लीला देवा ओमप्रकाश विवके पुत्र ओमप्रकाश अंजू दीपा पुत्रियां ओमप्रकाश समान भाग हि० 17/206 सुरेश पुत्र भूरुलाल हि० 17/206 टीकाराम रतीराम शोभाराम हरिसिंह जीवनलाल महेन्द्र पुत्र शिवचरण समान भाग हि० 84/103 जाति किरार नि० ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 19				5.630	0.777	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबधित सम्यक जाय के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है। अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है।
इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 51-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-देवपुरमाफी-8671/4

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-देवपुरमाफी, प0ह0क0-55..... रा0नि0 वृत-04..... तहसील-सबलगढ उपखण्ड-सबलगढ जिला-मुरैना में कुल 0.142 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-देवपुरमाफी प0ह0क0-55..... रा0नि0 वृत-04..... तहसील-सबलगढ उपखण्ड-सबलगढ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सबलगढ
ग. ग्राम	देवपुरमाफी
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.142 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	41	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.080	0.061	शम्मीपुत्र कुददुहि 1/2 नाजिरपुत्र यासिन खां हि 1/2 जाति मुसलमान पता नि ग्राम भूमिस्वामी
2	42/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.025	0.068	प्रकाशपुत्र राधेश्यामहि 797 बर्गफुट श्यामापुत्र दुल्लीहि 1000 बर्गफुट कमलेश बेबा शम्भू सोनू मोनू नाबा. पुत्र शम्भू सर मां स्वयं खुशबू नाबा. पुत्री शम्भू सर. मां स्वयं समान भाग हि 1000 बर्ग फुट जाति नट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3	42/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.197		सीमा देवी पत्नि मनोज कुमार जाति बैश्य नि सबलगढ रकबा 10010 बर्गफुट केदार केशव पुत्रगण किशनलाल हिर कबा 1200 वर्गफुट सुनील मातादीन पुत्रगण केदार हि रकबा 1200 वर्गफुट वैकुण्ठी पत्नि केदार जाति गौड हि रकबा 675 वर्ग फुट श्रीनिवास पुत्र रामचरण जाति प्रजापति रकबा 1187 बर्गफुट गजाधर नेकराम आदि रामभोगीराम रामसिंह पुत्रगण पन्नालाल

52

						जाति प्रजापति समान भाग हि रकबा 430 बर्गफुट काति देवी पत्नि जगनू माया पत्नि मुन्नागि रुनघान जागीर सभा हि रकबा 2603 वर्गफुट जाति प्रजापति
4	42/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.012		रमेशचन्द्रपुत्र मिश्री लाल जाति कुम्हार नि ग्राम भूमिस्वामी
5	42/मिन 4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.046		श्री रामरामदी नहरिओम अशोक पुत्रगण रामकिशुन समान भाग जाति त्यागी पता नि ग्राम
6	42/मिन 5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.024		रतिराम केशव अतिराज पुत्रगण मिश्री समान भाग जाति कुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वामी
7	42/मिन 6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.037		रामचरण जगन्नाथ लखपति पुत्रगण अंगद हि 3/4 समान भाग दीनदयाल पुत्र बाला भारती पूजा पुत्री बाला हि 1/4 जाति कुम्हार
8	42/मिन 7	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.015		विद्याराम रागगोविन्द पुत्रगण पूरनमल समान भाग जाति गौड पता निग्राम भूमिस्वामी
9	42/मिन 8	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.018		देवीलालपुत्र रघुआ जातिकुम्हार पता नि ग्राम भूमिस्वामी
10	42/मिन 9	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013		रोशनलालपुत्र मिश्री जाति कुम्हार नि ग्राम भूमिस्वामी
11	42/मिन 10	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.012		परिमालपुत्र दौजी जीवनलाल पुत्र मोतीराम समान भाग जातिकुम्हार
12	43/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034	0.013	श्री पति पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति निग्राम
13	43/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		रामजीलाल पुत्र कुढेरी जाति प्रजापति निग्राम
14	43/मिन 3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		प्रेमबेबा लालपति द्वारिका ओमप्रकाश हरिओम पुत्रगणलाल पति रुमाली पुत्री लालपति स.भा. हि रकबा 2695 वर्गफुट पाना पत्नि तातिया बैकुण्ठी पत्नि रामजीलाल जाति कुम्हार समान भाग हि रकबा 950
15	43/मिन 4	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		मु. पाना बेबा तातिया मर्टर रामअवतार जितेन्द्र पुत्रगण तातिया सुनीता पुत्री तातिया स.भा. जाति प्रजापति नि ग्राम
16	43/मिन 5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.034		भैरोलाल पुत्र भूरा जाति प्रजापति नि ग्राम
17	43/मिन 6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.060		गुडडी पुत्री मठरु जाति नाई पता निग्राम
कुल	17			0.709	0.142	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2018-19-8692-1

मुरैना, दिनांक 26 जुलाई 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वाज़ियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-जयपुर उर्फ नयागांव, प०ह०क०-८९ रा०नि० वृत्-०८ तहसील-बामौर उपखण्ड-बामौर जिला-मुरैना में कुल २.१९६ हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-जयपुर उर्फ नयागांव प०ह०क०-८९ रा०नि० वृत्-०८ तहसील- बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

१. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव
घ. लगभग क्षेत्रफल २.१९६ हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.114	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
2	773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
3	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.159	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई बेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा स० भा० भूमिस्वामी।
4	775/1 1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई बेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा स० भा० भूमिस्वामी।
5	775/1 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह,

						रामजीत सिंह, समजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627 जाति राठौर नि० थाना का पुरा स० भा० भूमिस्वामी।
6	775 /1 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.334		महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
7	775 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.334		सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभानू भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई बेवा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा स० भा० भूमिस्वामी।
8	778	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	5.768	0.450	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता बुददीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी।
9	780 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.648	0.115	पूरनसिंह, रानवीरसिंह, गब्बरसिंह, चौबेसिंह पुत्रगण मन्नीराम 1/8 जाति गुर्जर भूमिस्वामी बनवारी राजकिशोर पुत्र नवलसिंह राजकुमारी पुत्री नवलसिंह मु भागवती बेवा नवलसिंह स भाग रकवा 0.099 मु कलिया बेवा भूखन राकेश नाबा पुत्र भूखन सर मां खुद स भाग रकवा 0.025 गोपी पुत्र रामसिंह रकवा 0.125 कमलाबाई पुत्री रामसिंह रकवा 0.079 मोतीराम सुधरसिंह पुत्र हरगोविन्द, रतनसिंह मोहनसिंह पुत्र हरगोविन्द स भाग 7/32 रामचन्द्र पुत्र खेमा हि 9/64 में से रकवा 0.091 सियाराम पुत्र प्रीतम प्रीतम पुत्र लालाराम हि 1/16 लोहर पुत्र हंसल हि 7/32 बाबू पतिराम पंचम भूरा पुत्र बालाराम गोदावरी बेवा बालाराम स० भा० रकवा 0.132 जाति रावत विजय कुमार पुत्र चिम्नलाल जाति जैन नि खेडापति कालोनी रकवा 0.105 भरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0.108 रामभजन सिंह पुत्र रामवरन सिंह रकवा 0.011 हे नि गणपति विहार धनिराम पुत्र परिमाल जाति रावत रकवा 0.020 निकासी बुढ़ी का पुरा भूमिस्वामी
10	780 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.923		भारतसिंह द्वारिका पुत्रगण शोभाराम जाति मु० शकरदे बेवा शोभाराम समान भाग रकवा 1.083 लालाराम पुत्र शोभाराम हि० रकवा 0.141 दाताराम शीताराम पुत्रगण गोदीपल दयाराम नेकरसिंह पुत्रगण मोहरमनसिंह सत्यवीरसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी समान भाग रकवा 0.219 दर भाग 3/4 भूमिस्वामी सरदारसिंह रामेश्वर औतार पुत्रगण चन्दनसिंह साजनदे बेवा चन्दनसिंह त्रिवेणी, सिरमती शान्ती भूरी पुत्रियां

					चन्दनसिंह 1/8 समान रामवरन पुत्र महाराजसिंह रामरती पुत्री महाराजसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि० बुद्धीका पुरा 1/8 भाग भूमिस्वामी समान भाग 1/8 जाति गुर्जर ठाकुर
11	780/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		विजयसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति गु० टा० पता निवासी जरारा भूमिस्वामी भू०रा०शा० बिलमुक्ता 4.00
12	780/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		महिला श्रीमती कमलासिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता बुद्धीसिंह का पूरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी भू०रा०शा० 772
13	802/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मु० निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह रकबा 0.721 पातीराम पंचम भूरा पिता बाले रकबा 0.533 जाति रावत नि० बुद्धीसिंह का पूरा जाति रावत भूमिस्वामी भू-राजस्व 13.12
14	802/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		पतिराम भूपसिंह पिता बालेराम 1.233 है० रामवरन पु० महाराजसिंह रकबा 0.287 रामवती पुत्री महाराजसिंह 0.287 सरदारसिंह, औत्तारसिंह पुत्रगण चंदनसिंह मु० जीगंनदे वेवा चंदनसिंह त्रिवेणी सिरमिति शान्ती भूरी पत्नी चंदनसिंह 0.503 समान भूमिस्वामी मु शीला देवा वेवा रामेश्वर वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर समान भाग 0.071 ,पंचमसिंह भूरा पुत्र बालेराम रकबा 0.523 जाति रावत पता निवासी बुद्धी का पुरा निर्मला पत्नि सोवरनसिंह 0.563 कोम रावत नि० निरावली
15	802/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.619	रामचन्द पुत्र खेमराज हि० 1/3 रुमाली देवी वेवा पन्नालाल अनूप जयसिंह पुत्र पन्नालाल जाति रावत 0.034 ,मुन्नालाल पुत्र हजारीलाल रकबा 0.034 मु रामश्री वेवा हजारीलाल रकबा 0.034 कौशल्या सुमिता सुखनिया पुत्री हजारीलाल रकबा 0.104 दर भाग 1/6 संजू नावा सर माँ खुद गुडडी वेवा मुन्नालाल रकबा 0.115 पप्पू जीवाराम कल्लू नावा सर मा खुद कलावती पत्नी सियाराम स भाग रकबा 0.115 रामभरोषी पुत्र रामदयाल रकबा 0.073 दर भाग 1/4 मोतीराम सुघरसिंह रतनसिंह मोहनसिंह हरगोविन्द मु रामकली वेवा हुकमसिंह राजलाला जीतू नावा सर माँ खुद पुत्रगण हुकमसिंह स०भा० हिस्सा 1/4 जाति रावत भूमिस्वामी भू राजस्व 12.00

16	804	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	सरदार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.006 त्रिवेणी भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह समान भाग रकबा 0.026 अवतार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.048 मु0 साजन देवी वेवा चन्दन सिंह हि0 रकबा 0.048 जाति गुर्जर दाताराम सिंह पुत्र गादीपाल नेकराम पुत्र मोहरमन सिंह समान भाग 1/2 दयाराम पुत्र मोहरमन सिंह भाग 1/2 रकबा 0.209 पता निवासी बुढी का पुरा भूमिस्वामी मु0 शीला देवी वेवा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग 0.048 जाति गुर्जर पता नि0 बुढी का पुरा भूमिस्वामी
17	805	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	सरदार सिंह अवतार सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह मु0 साजन देवी वेवा चन्दन सिंह त्रिवेणी शान्ती भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह हि0 7/8 मु0 शीला देवी वेवा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग हि0 1/8 जाति गुर्जर पता नि0 बुढी का पुरा भूमिस्वामी
18	963	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.30
19	965/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.214	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी
20	965/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी भू0रा0शा0 964 मि0 1
कुल				2.196	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
 - नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
 - उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
 - कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।
- विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 06-अ-82-भू-अर्जन-2018-19-8692-2

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-शयोपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पहाड़ी 40ह0क0-89 रा0नि0 वृत्-08 तहसील -बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-मुरैना में कुल 0.155 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पहाड़ी 40ह0क0-89 रा0नि0 वृत्- 08 तहसील- बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम पहाड़ी
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.155 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेनंबर	स्वागित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2173	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.020	0.012	रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पिता जण्डेलसिंह सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेल सिंह मु भूरी बेवा जण्डेलसिंह 1/6 समान केदार रघुनाथ रामानिवास मानसिंह विन्टन मुकेश दिलीप पुत्रगण छोटा मु कमला बेवा छोटा सुनीता ममता पुत्रीया छोटा 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पिता रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ओंकार पु आदिराम मंजू कौमेश रचना पु आदिराम समान 1/6 भाग भूमिस्वामी
2	2182	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.180	0.0143	मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामी

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से सम्बन्धित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 08-अ-82-भू-अर्जन-2018-19-8692-3

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य सरकार को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बढ़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-जैतपुर नूराबाद 40ह0क0-89 रा0नि0 वृत्-08 तहसील -बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-मुरैना में कुल 0.200 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- जैतपुर नूराबाद 40ह0क0-89 रा0नि0 वृत्- 08 तहसील- बामौर उपखण्ड- बामौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम जैतपुर नूराबाद
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.200 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेसंबर	स्वागित्त्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	274/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.105	0.019	प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु0 रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
2	274/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.105		मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्यार, मु0 विच्चो वेबा रामअख्यार सुनीता पुत्री रामअख्यार हि0 1/4 पता जैतपुर नूराबाद भूमिस्वामी।
3	274/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.261		नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि0 1/2 स0 भा0 जाति गूठा0 पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
4	275/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.094	0.024	जानकी प्रसाद छोटेला जाति

						गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.84.
5	275/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.094	0.052	कन्हैया दशरथ साहबसिंह कदमा सरदार पुत्रगण होतमसिंह 5/6 कन्हई दशरथ साहबसिंह कदमसिंह सरदारसिंह पुत्रगण होतमसिंह शीला पुत्री होतमसिंह समान भाग हि० 1/6 दर भाग 1/2 कन्हईया पुत्र होतमसिंह हि 1/2 जाति गडरिया
6	275/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	0.080	हाकिम पुत्र गोधना रामबेटी शीला पुत्रियां गोधना समान भाग 1/2 नारायणसिंह बाबू पिता बन्शी भग्गो लाडो पुत्रीयान बन्शी 4/5 मु० प्रेमा बेबा रमेश कल्लू पुत्र रमेश 1/5 दर हि० 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भू-राजस्व 1.67
7	277	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.303	0.025	कुअरपाल केशव रामाचित्र राजेन्द्र आशारम बलराम पिता प्रभू माया भूरी पुत्री प्रभू जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल	07			1.140	0.200	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के अभाव की गयी है।
2. गियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान को उपबंध लागू नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग,
मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

क्र. 39-भू-अर्जन-कार्य-2019

मऊगंज, दिनांक 26 जुलाई 2019

प्ररूप--घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1944 भू-अर्जन कार्य/2018/25-07-18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी-574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपायोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपायोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
रीवा	मनगवां	अटारी-574 49 रघुराजगढ़	✓ 359	0.098
			✓ 548	0.032
			✓ 549	0.038

क्र. 40-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1942 भू-अर्जन कार्य/2018/25-07-18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी-574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपायोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपायोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
रीवा	मनगवां	छिरहाई-197 49 रघुराजगढ़	✓ 71	0.002
			72/2	0.012
			✓ 73	0.024

क्र. 41-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1946 भू-अर्जन कार्य/2018/25-07-18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी-574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपायोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपायोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1. रीवा	मनगवां	धवैया-290 49 रघुराजगढ़	390/1	0.004
2.			424/1	0.020
3.			423/2	0.030
4.			423/7	0.030
5.			426/3	0.010
6.			428	0.038
7.			472	0.016
8.			473	0.009
9.			468	0.010
10.			466	0.002
11.			477	0.010
12.			478	0.005
13.			480	0.020

14.			508	0.012
15.			514/1	0.012
16.			513/1	0.019
17.			540/1	0.016
18.			540/2	0.016
19.			563	0.004
20.			567	0.020
21.			565	0.006
22.			564	0.006
23.			563	0.008
24.			574	0.016
25.			575/1	0.025
26.			596/1	0.015
27.			602/1	0.006
28.			602/2	0.006
29.			606	0.038
30.			615	0.019
31.			618	0.040
32.			617	0.010
33.			616	0.006

क्र. 42-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1941 भू-अर्जन कार्य/2018/25-07-18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी-574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपायोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपायोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1. रीवा	मऊगंज	झलवार-360 12 झलवार	152	0.008
2.			153/2	0.020
3.			155	0.020
4.			235/1	0.036
5.			235/3	0.012
6.			234/1	0.024
7.			243/2	0.020
8.			245	0.030
9.			246	0.004
10.			247	0.030
11.			248	0.006
12.			330	0.030
13.			331	0.004

14.			332	0.016
15.			334/1	0.007
16.			336/1	0.014
17.			548	0.030
18.			1070	0.020
19.			545/1	0.006
20.			534/1	0.048
21.			532	0.040
22.			528	0.006
23.			527/2/1	0.025
24.			527/2/2	0.025
25.			526	0.008
26.			525	0.016
27.			504/2	0.026
28.			503/2	0.010
29.			505	0.010
30.			506/1/2	0.022
31.			507/1	0.004
32.			507/2	0.018
33.			509/1/2	0.026
34.			629	0.008
35.			628	0.008
36.			626	0.008
37.			625	0.012
38.			623	0.016
39.			631	0.032
40.			635	0.038
41.			634	0.007
42.			636/1	0.036
43.			492	0.028
44.			489	0.064
45.			490	0.042

क्र. 43-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपायोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1938 भू-अर्जन कार्य/2018/25-07-18 दिनांक 21.09.2018 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से रीवा ग्राम अटारी-574 तहसील मनगवा जिला रीवा से ग्राम मलैगवा तहसील मऊगंज जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कर अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला तहसील	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1. रीवा	मऊगंज	पनिगवाँ-587 13 डिगवार	70/1	0.050
2.			70/3	0.075
3.			82	0.020
4.			83/1	0.015
5.			83/2	0.082

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार झा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 1899-भू-अर्जन-2019

रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2019

प्रकरण क्रमांक 33/2017-18/भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - तिखावन

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तिखावन	सुन्दरलाल व लक्ष्मीप्रसाद आ. घनश्याम सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	43/2/3/1	0.094	0.006	कार्यपालन यंत्री बारना बांगी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की तिखावन माइनर 02 नहर हेतु
2		कैलाशनारायण आ. लक्ष्मीनारायण, राधावाई, रामवाई आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	200/2	1.967	0.072		

क्र. 1990-भू-अर्जन-2019

प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2017-18 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - शहपुरा

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शहपुरा	सुमद्रा वाई पत्नि विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	70/2	0.664	0.056	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की शहपुरा माईनर नहर हेतु

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय उपाध्याय, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 951-भू-अर्जन-19-प्र.क्र. 01-अ-82-2018-19

इन्दौर, दिनांक 29 जुलाई 2019

[अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम-कैलोदहाला, तहसील-इंदौर में कुल 0.594 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.594 हे. है, जो ग्राम कैलोदहाला, तहसील इंदौर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1.	285/1/3 पैकी	निजी भूमि	सिंचित	0.121	संतोष, ईश्वर, जगदीश पिता रामचन्द्र, निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				
2.	281/2/4	निजी भूमि	सिंचित	0.292	संतोष, ईश्वर, जगदीश पिता रामचन्द्र, केसरबाई बेवा रामचंद्र निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				
3.	280/1/2	निजी भूमि	असिंचित	0.181	प्रेमलता पति चन्द्रकांत, कपिल, अतुल पिता चन्द्रकांत जोशी, निवासी सा. देह				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या - है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम कैलोदहाला, तहसील इंदौर, जिला इंदौर क्षेत्र 0.594 (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 954-भू-अर्जन-19-प्र.क्र. 01-अ-82-2018-19

[अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)]
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ
इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम-भानगढ़,
तहसील-इंदौर में कुल 0.219 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि
उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.219 हे. है, जो ग्राम
भानगढ़, तहसील इंदौर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1.	19/3/1	निजी भूमि	असिंचित	0.078	विशाल चौकसे पिता फूलसिंह चौकसे, राजेन्द्र, मुकेश, दीपक पिता हीरालाल व श्रीमती लक्ष्मीबाई पति हीरालाल जाति कुम्हार, सुनीलसिंह पिता नंदलालसिंह पंवार, श्रीमती प्रियंका पति रामबाबू परिहार				
2.	20/1/3	निजी भूमि	असिंचित	0.036	ओमप्रकाश, जितेन्द्र पिता श्री राम, द्रोपती बाई बेवा श्री राम गंगाबाई बेवा नारायण, गोरधन, दिनेश पिता नारायण, निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				
3.	20/1/1	निजी भूमि	असिंचित	0.101	ओमप्रकाश, जितेन्द्र, कांताबाई, चंद्रकांताबाई, सुमनबाई, ललिता एवं संगीता पिता श्री राम, गंगाबाई बेवा नारायण, गोरधन, दिनेश पिता नारायण, निवासी ग्राम निरंजनपुर, इंदौर				

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
4.	20/2/1	निजी भूमि	असिंचित	0.004	गोवर्धन पिता स्व. शालीगाम, सूरजबाई, गीताबाई पिता भागीरथ, जाति खारी				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या - है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम भानगढ़, तहसील इंदौर, जिला इंदौर क्षेत्र 0.219 (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 957-भू-अर्जन-19-प्र.क्र. 01-अ-82-2018-19

[अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम-शक्करखेड़ी, तहसील-इंदौर में कुल 0.261 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.261 हे. है, जो ग्राम शक्करखेड़ी, तहसील इंदौर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द	पू	प
1.	126/1/4	निजी भूमि	सिंचित	0.074	हाकम बाई बेवा मन्सूंसिंह, नरेन्द्र सिंह पिता मन्सूंसिंह, प्रेम सिंह, रूप सिंह, अंतरसिंह, पोपसिंह, चंदगीराम पिता कालूसिंह अ०पा०कर्ता माता सीताबाई पति कालूसिंह पता भांग्या रोड, सांवेर				
2.	127/1	निजी भूमि	सिंचित	0.112	जीवितेश पिता मुरलीधर, मुरलीधर पिता बद्रीलाल				
3.	142/1	निजी भूमि	सिंचित	0.068	जीवितेश पिता मुरलीधर, मुरलीधर पिता बद्रीलाल				
4.	137/1	निजी भूमि	सिंचित	0.007	जीवितेश पिता मुरलीधर, मुरलीधर पिता बद्रीलाल				

वृक्ष	
किरम	संख्या
निरक	निरक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में या यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या - है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम शक्करखेड़ी, तहसील इंदौर, जिला इंदौर क्षेत्र 0.261 (हेक्टेयर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं

जिला भूमि अर्जन अधिकारी इंदौर एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 7629-अ- 2019-2020

धार, दिनांक 2 अगस्त 2019

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि/शासकीय भूमि में स्थित मकानों का नामवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रकरण में मकान प्रभावित होने से धारा-4 (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन पृथक से किया जावेगा।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि में स्थित मकानों का अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- खोजाकुआ

तहसील- गंधवानी जिला धार

क्रं.	विवरण	डूब से प्रभावित होने वाली भूमि में स्थित मकानों का कुल रकबा (वर्ग मीटर में)		
		निजी	मकानों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से	निजी	78	8902.241
		शासकीय	2	133.5
		योग:-	80	9035.741 (वर्ग मीटर में)

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित मकानों का विवरण

स. क्रं.	भूमि धारक का नाम	भूमि धारकों में से मकान प्रभावित व्यक्ति का नाम	प्रभावित सर्वे क्र. जिसमें मकान स्थित है	मकान का प्रकार	मकान का निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भूमि धारक से मकानधारी का संबंध
1	2	3	4	5	6	7
1	मेहताब पिता मांगीलाल, शुभाबाई पति स्व. मांगीलाल भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मेहताब पिता मांगीलाल	274/3	कच्चा मकान चहर	40.26	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	27.45	
				कच्चा पशु घर कवेलु	41.31	
2	गमरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	गमरसिंह पिता भावसिंह	274/2	कच्चा मकान कवेलु	79.8	निजी भूमि
				पक्का मकान आर. सी.सी.	17.5	

3	कुंवरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कुंवरसिंह पिता भावसिंह	274/1	कच्चा मकान कवेलु	144.48	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	28.5	
4	भेरु पिता चन्दर, विक्रम पिता भेरु	भेरु पिता चन्दर, विक्रम पिता भेरु	287/2/5	कच्चा मकान चदर	21.28	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	37.4	
				कच्चा मकान कवेलु	39.2	
5	खुमसिंह, छीतरीबाई पिता गुलाब जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	हिरु पिता चन्दरसिंह	287/2	छत तारपोलीन	24.18	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	46.5	
				कच्चा पशु घर कवेलु	39.68	
				छत तारपोलीन	48.6	
6	बोन्दरसिंह, उगरसिंह, बालमडीबा, मतरीबाई, हतरीबाई पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	अमरसिंह पिता भावसिंह	281	कच्चा मकान चदर	18.72	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	70.68	
				कच्चा मकान चदर	24.64	
				चदर	34.3	
				छत तारपोलीन	21.7	
7	दिलीप, प्रकाश, रेडीबाई, रंगलीबाई पिता गल्या, गणस्या, खुमसिंह, कालीबाई, भंगडीबाई, झीतरीबाई पिता गुलाब, नुराबाई पति स्व. गुलाब, सुन्दरिया, गणपत, लोकुबाई, महकुबाई, रामकुबाई पिता अनसिंह, मडिया, मालसिंह, गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	बोंदरा पिता नानका	284/1	कच्चा मकान कवेलु	39.1	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	24.51	
				छत तारपोलीन	80.84	
				छत तारपोलीन	27.73	
8	गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	बाला पिता नानका	284/1	कच्चा मकान कवेलु	80.75	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	30.96	
				छत तारपोलीन	68.8	
9	गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	उगरसिंह पिता नानका	284/1	कच्चा मकान चदर	16.65	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	84.55	
				छत तारपोलीन	80.08	
10	गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रतन पिता उगरिया	284/1	कच्चा मकान कवेलु	29.05	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	23.97	
11	गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	गंगलिया पिता बाला	284/1	छत तारपोलीन	87.31	निजी भूमि
12	गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	गणपत पिता अनसिंह	284/1	छत तारपोलीन	27.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	50.32	
				छत तारपोलीन	21	
13	गौराबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता गणपत	284/1	छत तारपोलीन	65.25	निजी भूमि

14	हिरा पिता चन्दरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	शंकर पिता सुन्दरीया	268/1	कच्चा मकान सी. सी.	22.4	भू धारक की सहमति से
				छत तारपोलीन	10.5	
				छत तारपोलीन	15.98	
15	हिरा पिता चन्दरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सुन्दरीया पिता अनसिंह	268/1	कच्चा मकान आर. सी.सी.	9.9	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	78.28	
				छत तारपोलीन	7.8	
				छत तारपोलीन	6.6	
छत तारपोलीन	42.35					
16	मडिया मलसिंह गोराबाई केसरबाई सरमीबाई पिता धुमसिंह, सेकडीबाई पति स्व. धुमसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ	मडिया पिता धुमसिंह	288/1/6 /3	कच्चा मकान कवेलु	94.6	निजी भूमि
17	बोन्दरसिंह, उगरसिंह, बालमडीबा, मतरीबाई, हतरीबाई पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रुखडिया पिता बोंदरा	288/1/4	कच्चा मकान कवेलु	45.58	भू धारक की सहमति से
				छत तारपोलीन	17.49	
				छत तारपोलीन	77.9	
18	दिलीप, प्रकाश, रेडीबाई, रंगलीबाई पिता गल्या, गणस्या, खुमसिंह, कालीबाई, भंगडीबाई, झीतरीबाई पिता गुलाब, नुराबाई पति स्व. गुलाब, सुन्दरिया, गणपत, लोकूबाई, महकुबाई, रामकुबाई पिता अनसिंह, मडिया, मालसिंह, गौसबाई पिता धुमसिंह, बोदरा, उगरिया, बालू, मडीबाई, हतरीबाई पिता नानका, भारसिंह व गेंदाबाई पिता नानडिया, तुमनिया, हिरला, गणपत, मलसिंह, नानबाई पिता पिडू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	छीताबाई पति गलिया	288/1/7	कच्चा मकान कवेलु	80	निजी भूमि
19	खुमसिंह, छीतरीबाई पिता गुलाब जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	खुमसिंह पिता गुलाब	288/1/1 /2	कच्चा मकान कवेलु	174	निजी भूमि
20	कैलाश, रूपसिंह, रावजी पिता रणजीत जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कैलाश पिता रंजीत	286/1	कच्चा मकान चदर	27.3	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	18.9	
21	जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जुवानसिंह पिता थानसिंह	290/2/3	पक्का मकान अंग्रेजी कवेलू	255.99	निजी भूमि
22	रायसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता थानसिंह	290/2/2	छत तारपोलीन	24.84	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	90.1	
				पक्का मकान कवेलू	23.32	

23	जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	थानसिंह पिता लेफरिया	290/2/3	कच्चा मकान कवेलु	28.16	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	58.96	
24	रुखडिया पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रुखडिया पिता थानसिंह	290/2/1	पक्का मकान कवेलु	68.801	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	49.5	
25	जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जुवानसिंह पिता थानसिंह	290/2/3	पक्का मकान आर. सी.सी.	176.86	निजी भूमि
				चदर	3.24	
				पक्का मकान अंग्रेजी कवेलु	93.72	
				पक्का मकान अंग्रेजी कवेलु	172.8	
26	नवलसिंह पिता नानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मोहन पिता रूपसिंह	290/1/1	कच्चा मकान कवेलु	24	भू धारक की सहमति से
27	नवलसिंह पिता नानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रूपसिंह पिता नवलसिंह	290/1/1	कच्चा मकान कवेलु	48	भू धारक की सहमति से
28	नवलसिंह पिता नानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नवलसिंह पिता नानसिंह	290/1/1	कच्चा मकान चदर	26.25	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	110	
				कच्चा मकान कवेलु	33.75	
				छत तारपोलीन	74	
				छत तारपोलीन	60	
29	जैराम पिता फूलसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	दिनेश पिता जयराम	290/3/1	कच्चा मकान कवेलु	35	भू धारक की सहमति से
30	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	फुलसिंह पिता तेरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान कवेलु	88	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	37.5	
31	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मोहन पिता अमरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान चदर	37.8	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	48	
				छत तारपोलीन	30	
32	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	चोहन पिता अमरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान कवेलु	42.5	निजी भूमि
33	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सोहन पिता अमरसिंह	290/3/2	कच्चा मकान चदर	17.5	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	40	
34	अमरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सरदार पिता लालसिंह	288/1/3	छत तारपोलीन	35	भू धारक की सहमति से

35	अमरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	लालसिंह पिता नानसिंह	288/1/ 3	कच्चा मकान कवेलु	57.5	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	45	
				आंगन	22.5	
36	प्रेमसिंह, करणसिंह, गंगाबाई पिता लक्ष्मण, सुखमाबाई पति स्व. लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सुकमाबाई पति स्व. लक्ष्मण	290/1/ 3	कच्चा मकान कवेलु	40.6	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	47.25	
37	प्रेमसिंह, करणसिंह, गंगाबाई पिता लक्ष्मण, सुखमाबाई पति स्व. लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	प्रेमसिंह पिता स्व. लक्ष्मण	290/1/ 3	आंगन	40	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	62.4	
38	शासकिय	सरदार पिता हिरा	79/3	छत तारपोलीन	95	शासकिय
39	रायसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	दिनेश पिता रामसिंह	290/2/ 2	छत तारपोलीन	80	भू धारक की सहमति से
40	सोहन, मोहन, चौहान, रेखा पिता अमरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सोहन पिता अमरसिंह	290/3/ 2	पक्का मकान आर.सी.सी.	52	निजी भूमि
				पक्का मकान आर.सी.सी.	5.3	
				आंगन	12	
				छत तारपोलीन	28	
41	रुखडिया पिता थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	सुबान पिता रुखडिया	290/2/ 1	छत तारपोलीन	40	भू धारक की सहमति से
42	शासकिय	धरम पिता रिछू	79/3	कच्चा मकान चदर	17.15	शासकिय
				छत तारपोलीन	21.35	
43	टंटिया, वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	गला पिता टंटिया	20	कच्चा मकान चदर	22.78	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	38.19	
				आंगन	14.26	
				छत तारपोलीन	33.6	
44	टंटिया, वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	छगन पिता टंटिया	20	कच्चा मकान चदर	36	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	27	
45	टंटिया, वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	अजनसिंह पिता टंटिया	20	कच्चा मकान कवेलु	30	भू धारक की सहमति से

46	टंटिया , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	अजनसिंह पिता टंटिया	20	कच्चा मकान कवेलु	82.8	भू धारक की सहमति से
47	टंटिया , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	टंटिया पिता आकू	20	छत तारपोलीन	49	निजी भूमि
48	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	राजु पिता भूरसिंह.	12/5/1.	कच्चा मकान चदर	29	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	18.56	
				छत तारपोलीन	12	
49	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	पदम पिता मिठु	12/5/1.	कच्चा मकान चदर	30.5	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	86.1	
				कच्चा मकान कवेलु	10.37	
50	लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल, ना.बा. पा.कर्ता कासु पिता अन्तरसिंह भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	लक्ष्मण पिता अतरसिंह	12/5/3.	पक्का मकान चदर	59.2	निजी भूमि
				छत तारपोलीन	9	
51	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	चम्पू पिता कासलिया	12/5/1.	कच्चा पशु घर कवेलु	31.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	91.14	
				कच्चा पशु घर कवेलु	17.55	
52	निहालसिंह पिता मीठु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	निहालसिंह पिता मिठू	12/3.	छत तारपोलीन	10.88	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	95.7	
53	चम्पू पिता कालू, झगड़ीबाई पति स्व. कालू, लक्ष्मण, रामसिंह, राहुल पिता अन्तरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कासलिया पिता मिठू	12/5/1.	कच्चा मकान कवेलु	13.2	भू धारक की सहमति से
54	रामसिंह पिता फत्तु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता फत्तू	12/4.	कच्चा मकान कवेलु	75.6	निजी भूमि
55	रामसिंह, कुंवरबाई पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता थावरिया	24	कच्चा मकान चदर	38.5	निजी भूमि
				पक्का मकान कवेलु	90.2	
				छत तारपोलीन	32.2	
56	नराण, बोदरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नराण पिता थावरिया	21/2/3.	छत तारपोलीन	33.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	111.6	
57	दलसिंह, सुन्दरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	दलसिंह पिता थावरिया	21/2/4.	छत तारपोलीन	47.15	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	70.55	

58	दलसिंह, सुन्दरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	कैलाश पिता दलसिंह	21/2/4.	छत तारपोलीन	99.75	भू धारक की सहमति से
59	जामसिंह पिता थावरीया, सनीबाई पति स्व. थावरीया, बीराबाई पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जामसिंह पिता थावरिया	21/2/2.	छत तारपोलीन	72	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	88	
				आंगन	77	
60	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रूपसिंह पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	11.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान कवेलु	90.3	
				कच्चा मकान चदर	38.69	
				आंगन	30.02	
61	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नाथु पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	12.95	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	85.5	
				कच्चा मकान कवेलु	6	
				कच्चा मकान चदर	33.3	
				कच्चा मकान चदर	36	
				आंगन	16.2	
62	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नाहला पिता बदा	21/1.	कच्चा मकान चदर	23	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	46.8	
63	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मोहन पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	24	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	46.8	
				कच्चा मकान चदर	44.1	
64	बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	नाहला पिता बदा	21/1.	छत तारपोलीन	98.1	भू धारक की सहमति से
65	हरेसिंह पिता दल्ला उर्फ दलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	पर्वत पिता तेरसिंह	12/2/2.	कच्चा मकान तारपोलीन	47.6	भू धारक की सहमति से
66	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	धनसिंह पिता तेरसिंह	12/2/1.	कच्चा मकान तारपोलीन	47.6	भू धारक की सहमति से
67	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	तेरसिंह पिता दला	12/2/1.	छत तारपोलीन	95.2	निजी भूमि
				कच्चा मकान चदर	47.6	
				पक्का मकान कवेलु	22.4	
				छत तारपोलीन	64.05	

68	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	हरसिंह पिता दलसिंह	12/2/1.	चद्वर	48.6	भू धारक की सहमति से
				पक्का मकान कवेलू	117	
69	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	गणपत पिता ज्वानसिंह	9/4.	पक्का मकान आर.सी.सी.	92	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान चद्वर	49.6	
				कच्चा मकान कवेलु	24	
				कच्चा मकान कवेलु	24	
70	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	मंगता पिता रेमा	9/4.	छत तारपोलीन	9.2	भू धारक की सहमति से
				चद्वर	18.4	
				कच्चा मकान कवेलु	43.24	
71	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	भेरु पिता रेमा	9/4.	छत तारपोलीन	22.26	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	39.48	
72	रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ	शेरु पिता रेमा	9/4.	छत तारपोलीन	22.26	भू धारक की सहमति से
				कच्चा मकान कवेलु	39.48	
73	बल्लू, रीछाबाई पुनाबाई पिता गजा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	बल्लू पिता गजिया	9/6.	छत तारपोलीन	20.02	निजी भूमि
				कच्चा मकान चद्वर	28.49	
				कच्चा मकान कवेलु	21.56	
74	जामसिंह, बनदरिया, पातल्या दुमाबाई, गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जामसिंह पिता जैमा	9/7.	छत तारपोलीन	51.46	निजी भूमि
				कच्चा मकान चद्वर	52.08	
				पक्का मकान कवेलू	78.11	

75	जामसिंह, बनदरिया, पातल्या दुमाबाई, गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	बोदर पिता जैमा	9/7.	पक्का मकान कवेलू	78.85	निजी भूमि
76	जामसिंह, बनदरिया, पातल्या दुमाबाई, गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	पातल्या पिता जैमा	9/7.	कच्चा मकान कवेलु	77.28	निजी भूमि
				चद्वर	30.25	
77	भागीया पिता भुवान जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	मुत्रीया पिता केरीया	257/2/2	छत तारपोलीन	119	भू धारक की सहमति से
				चद्वर	18	
				कच्चा मकान कवेलु	154.7	
				छत तारपोलीन	33	
78	जामसिंह पिता गोटिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	जामसिंह पिता गुतिया	26/2.	चद्वर	44.1	निजी भूमि
79	तेरसिंह पिता दल्ला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	रामसिंह पिता गजिया	36/2	चद्वर	28.08	भू धारक की सहमति से
				छत तारपोलीन	14.58	
80	कुंवरसिंह वेरसिंह कैलाश पिता सडीया भंगडीबाई पति स्व. सडीया भुरला रुमाल, काली पिता सेकडीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ	भंगडा पिता रुमाल	297	छत तारपोलीन	112	भू धारक की सहमति से
योग:-					9035.741	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.